



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) **Corporate Tax (GST Cell)**

कक्ष संख्या- 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल- tax@uppcl.org
Room No.- 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320.

दिशा-निर्देश सं०: /का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2025

दिनांक:10-03-2025

विषय:- दिशा-निर्देश संख्या 31A/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024 दिनांक 20.12.2024 में उल्लिखित बिन्दु संख्या 03 (लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेजिंग सेवाएं) पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024 -सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके माध्यम से "Supply of services by way of providing metering equipment on rent, testing for meters/transformers/capacitors etc., releasing electricity connection, shifting of meters/service lines, issuing duplicate bills etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers." से सम्बन्धित सेवाओं को जी०एस०टी० से कर मुक्त किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में कारपोरेट टैक्स अनुभाग द्वारा दिशा-निर्देश संख्या 31A/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024 दिनांक 20.12.2024 (संलग्नक) निर्गत किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत बिन्दु संख्या 03 में उल्लिखित लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेजिंग सेवाओं के सन्दर्भ में अवगत कराना चाहेंगे कि उक्त लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेजिंग सेवाओं में सिर्फ सर्विस लाइन को ही शामिल किया जायेगा एवं उन पर जी०एस०टी० भारित नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक: यथोपरि।

(सचिन गोयल)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

दिशा-निर्देश सं०: **31B** /का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2025 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/ मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxupcl@gmail.com

Room No.- 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

दिनांक 20 /12 /2024

ई-मेल द्वारा

दिशा-निर्देश सं०: 31A /का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024

विषय:- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024 -सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के सम्बन्ध में।

कृपया वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024 -सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश संख्या 31/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2024 दिनांक 15.10.2024 (संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत दी गयी तालिका के अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 17 पर अंकित सभी प्राप्तिओं पर पूर्व में लागू 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की जगह दिनांक 10.10.2024 से भविष्य में उक्त प्राप्तिओं पर जी०एस०टी० भारित नहीं किये जाने तथा बिन्दु संख्या 18 पर अंकित डिपॉजिट वर्क पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० भारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था।

अग्रेतर, निर्देशित किया जाता है कि:-

1. बिलिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं-

बिलिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अन्तर्गत प्रीपेड रीचार्ज पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (Token Money) पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० भारित किया जायेगा।

2. झटपट/निवेश मित्र पोर्टल/ऑफलाइन डिपॉजिट वर्क-

झटपट/निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर चार्ज की जाने वाली Initial application fee पूर्णतः कर-मुक्त होगी। साथ ही, झटपट/निवेश मित्र पोर्टल/डिपॉजिट वर्क सेवाओं पर व्ययों के प्राक्कलन (Estimate of expenses) पर जी०एस०टी० भारण से सम्बन्धित निम्नलिखित नियम लागू होंगे:-

- यदि उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु समस्त विद्युत अवसंरचना (Electrical Infrastructure) का आवश्यक बुनियादी ढांचा पहले से उपलब्ध होगा, तो उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने से सम्बन्धित अनुमानित व्ययों जिनमें मीटर कॉस्ट, केबल कॉस्ट, लोड चार्ज, लाइन चार्ज इत्यादि, पर जी०एस०टी० भारित नहीं किया जायेगा।
- यदि उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु समस्त विद्युत अवसंरचना का आवश्यक बुनियादी ढांचा निगम को तैयार कराना हो, जो कि डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत आता हो तो विद्युत अवसंरचना का आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने से सम्बन्धित समस्त खर्चों पर जी०एस०टी० भारित किया जायेगा।

3. लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेजिंग सेवाएं-

उक्त नोटिफिकेशन द्वारा मीटर/लाइन शिफ्टिंग सेवाओं को भी कर मुक्त कर दिया गया है। अतः वितरण निगमों द्वारा लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेजिंग सेवाओं (आवेदन शुल्क, पर्यवेक्षण एवं शटडाउन चार्ज सहित) पर जी०एस०टी० भारित नहीं किया जायेगा।

अग्रेतर, लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेजिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु प्रदान की जाने वाली पर्यवेक्षण एवं शटडाउन सेवाओं पर जी०एस०टी० पूर्व की भांति लागू रहेगा।

अतः उक्त नियमानुसार दिनांक 10.10.2024 से उल्लिखित सेवाओं पर जी0एस0टी0 भारित नहीं किया जायेगा तथा जो जी0एस0टी0 अब तक भारित किया जा चुका है, उसे उपभोक्ताओं को वापस नहीं किया जाएगा और जी0एस0टी0 विभाग में जमा किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 नियमों का पालन सुचारू रूप से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित कराये।
संलग्नक: यथोपरि।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

दिशा-निर्देश सं०: 31A / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल / 2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-228001, ई-मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.- 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

दिनांक 15/10/2024

ई-मेल द्वारा

दिशा-निर्देश सं: 31 / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल / 2024

विषय:- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024 एवं 09/2024-सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के सम्बन्ध में।

1. कृपया पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 241/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल 2020 दिनांक 24.06.2024 (संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्रदान की जा रही विद्युत वितरण के अतिरिक्त अन्य सेवाओं पर जी०एस०टी० लागू किये जाने हेतु अवगत कराया गया था।


उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024-सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के अनुसार उपरोक्त तालिका में उल्लिखित बिन्दु-वार विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों में से बिन्दु संख्या 1 से 17 पर अंकित सभी प्राप्तियों पर पूर्व में लागू 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की जगह दिनांक 10.10.2024 से भविष्य में उक्त प्राप्तियों पर जी०एस०टी० भारित नहीं किया जायेगा तथा बिन्दु संख्या 18 पर अंकित डिपॉजिट वर्क के सम्बन्ध में अग्रिम आदेशों तक यथावत् 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० भारित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

S. no	Billing system service Heads	Nature	GST Applicable	GST Rate
1	Interest on security Deposit	Interest	No	-
2	Disconnection charges	Other services	No	-
3	Reconnection charges		No	-
4	Cheque Dishonor charges		No	-
5	Theft charges(Assessment)		Electricity Charges	No
6	Theft charges (Compounding)	Summon Fees	No	-
7	OTS Registration Fee (which is adjusted in bill on full payment)	Security Deposit	No	-
8	OTS Registration Fee (Which is forfeited as miscellaneous amount in case of OTS non-payment)	To tolerate an act	No	-
9	Processing Fee for Load change/New Connection/Category Change/Name Change/Temp Connection Extension	Other services	No	-
10	Re inspection charges		No	-
11	Meter cost on New Connection/On replacement of Defective/Burnt Meters		No	-
12	Meter checking and testing through Check Meter		No	-
13	Charges for Meter replacement (higher capacity)/Meter Shifting		No	-
14	Charges for Meter Installation/Removal on Temporary Connection		No	-
15	Rescaling fo Meter (special cases)		No	-
16	Checking of Capacitor (on consumer request)		No	-
17	Service Line Charges (Labour and overhead charges)		No	-
18	Deposit Work		Yes	18%

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/2024-सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के अनुसार निम्नलिखित सेवा पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अन्तर्गत जी0एस0टी0 देय होगा:-
“Service by way of Renting of any property other than residential Dwelling to a registered person.”

अतः दिनांक 10.10.2024 के पश्चात किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा **आवासीय परिसर के अलावा** अन्य संपत्ति को निगम को किराए पर देने की सेवा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अंतर्गत आएगी।

संलग्नक: यथोपरि।


(नितिन निग्गाम)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)

दिशा-निर्देश सं०: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (सो प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

/

(नितिन निग्गाम)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)